अध्याय –2 (मैन्युअल–1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

निगम के मुख्य उद्देश्य राज्य शासन की नीतियों एवं नियमों के तहत राज्य के औद्योगिक विकास एवं संवर्धन, औद्योगिक अधोसंरचना का विकास एवं संधारण, आवश्यकता अनुसार विभिन्न उद्यमों हेतु शासकिय एवं निजी भूमी का अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने मे सहयोग, लघु उद्योगों को विपणन सहायता, कच्चा माल आपूर्ति, निर्यात संवर्धन हेतु कार्य करना है । निगम के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण, निगम के पंजीकृत मेमोंरेडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित है, जिसकी प्रति अवलोकन हेतु कार्यालय में उपलब्ध है ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन / विजन

निगम का मिशन राज्य के समग्र औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक वातावरण निर्मित करना एवं राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना है ।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

निगम मूलतः पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के उपक्रम, मध्य प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की एक सहायक कंपनी के रूप में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लि. के नाम से कंपनी अधिनिमय 1956 के तहत दिनांक 17/11/1981 को गठित किया गया था । छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत, राज्य शासन के निर्णय अनुसार इस निगम को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में दिनांक 17/04/2001 को परिवर्तित किया गया है । राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / वित्त विभाग के

अंतर्गत संचालित विभिन्न पूर्ववर्ती निगम यथा मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश राज्य निर्यात निगम, मध्य प्रदेश स्टेट टैक्स्टाईल कार्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम आदि का विभाजन उपरांत इस निगम में संविलियन किया गया है ।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

निगम का प्रधान कर्तव्य राज्य के औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, औद्योगिक अधोसंरचना का विकास व संधारण, रखरखाव साथ साथ लघु उद्योगों को विपणन सहायता, कच्चा माल आपूर्ति, निर्यात संवर्धन आदि के संबंध में राज्य शासन की नीतियों एवं निदेर्शो तथा राज्य शासन द्वारा सौपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करना है ।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

निगम के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है :—

2.5.1 राज्य में पूर्व से स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्रों /औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव करना

2.5.2 औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराना

2.5.3 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना

2.5.4 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आवश्यकतानुसार भूमि का आबंटन करना

2.5.5 लघु उद्योग इकाईयों को विपणन सहायता, कच्चा माल आपूर्ति

2.5.6 निर्यात संवर्धन

2.5.7 शासकीय विभागों /संस्थाओं में क्रय हेतु भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत विभिन्न आरक्षित वस्तुओं के दरों का निर्धारण कर रेट कांट्रेक्ट करना

2.5.8 पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली एवं संबंधित दायित्वों का पुर्नभुगतान

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

निगम का गठन मुख्यतः निम्न उद्देशों को लेकर किया गया था ।

(अ) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना

(ब) भू–आबंटन करना

(स) विपणन एवं निर्यात संवर्धन करना

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तंरो पर संगठनात्मक ढांचा

संचालक मण्डल
अध्यक्ष
प्रबंध संचालक
कार्यपालक संचालक
मुख्य महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
कार्यपालक अभियंता
प्रबंधक
उप प्रबंधक
सहायक प्रबंधक
सहायक यंत्री
कनिष्ठ यंत्री
वरिष्ठ सहायक
लेखापाल

कनिष्ठ सहायक
मानचित्रकार
लेखा सहायक
पी.बी.एक्स. आपरेटर
सहायक मानचित्रकार
स्टेनोग्राफर
अनुरेखक
कॅशियर
उ.श्रे.लि.
नि.श्रे.लि
पम्प मेंकेनिक
समयपाल
पटवारी
पाईप फिटर/प्लम्बर श्रेणी–I
पंप चालक श्रेणी– I
वाहन चालक
रोड रोलर चालक
प्लम्बर श्रेणी– I I
लाईन मेन
इलेक्ट्रीशियन श्रेणी– I I
पंप चालक श्रेणी– I I
पंप अटेन्डेन्ट
भृत्य/चौकीदार
हेल्पर
माली
श्रमिक

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं

राज्य में औद्योगिक विकास हेतु उचित वातावरण तैयार करने एवं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु जनसामान्य में जागरूकता एवं उनका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । स्थापित उद्योगों द्वारा निर्धारित समस्त शुल्कों यथा लीज रेट, वाटर चार्जेस आदि का समय से भुगतान अपेक्षित है, जिससे आधारभूत संरचनाओं का उपयुक्त विकास एवं संधारण हो सके । उद्योगों द्वारा पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन भी अपेक्षित है, जिससें औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में जनसामान्य के सहयोग से गतिशीलता बनाई रखी जा सके ।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/ व्यवस्था

जनसामान्य में औद्योगिक विकास के प्रति जागरूकता एवं उनके सक्रिय सहयोग हेतु, उद्योगों से उन्हें होनेवाले लाभों के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्रदान किया जाना ।

समय–समय पर औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाती है । प्राप्त/लंबित आवेदन पत्रों को सूचना पटल में प्रदर्शित किया जाता है

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

समस्या/आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, कार्यपालक संचालक, प्रबंध संचालक से सम्पर्क कर सकते है ।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तंरों पर कार्यालयों के पते

निगम का पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालय रायपुर में स्थित है जिसका पता निम्नानुसार है :—

अ. मुख्य कार्यालय

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
भारतीय जीवन बीमा निगम, व्यवसायिक परिसर,
पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0771—2583789—90

ब. शाखा कार्यालय बिलासपुर

शाखा प्रबंधक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
औद्योगिक क्षेत्र तिफरा
बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07752—252367

स. शाखा कार्यालय दुर्ग

सहायक प्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
75—जी.ई.रोड
दुर्ग (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0788—2323184

2.12 <u>कार्यालय के खुलने का समय</u>

<u>कार्यालय के बन्द होने का समय</u>

निगम के मुख्यालय कार्यालय, शाखा कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के खुलने एवं बन्द होने का निर्धारित समय निम्नानुसार है :–

कार्यालय खुलने का समय : प्रातः 10.30 बजे

कार्यालय बन्द होने का समय : सांय 05.30 बजे